न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
कमलेश शर्मा बनाम गोवर्धन शर्मा
नकल – वाद   नं. – 40/14

01.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकार महुआखुर्द में पेश हुई। उभयपक्ष पक्षकारान शिविर के दौरान हाजिर नही। पत्रावली का बारिखी से अध्ययन/परिक्षण किया गया। प्रकरण वर्ष 2014 से लम्बित होकर आज वादीगण को प्रस्तुत करने विपक्षीगण 02 लगायत 07, व 11, 13, 15, 16 के सम्मन प्रोसेस हेतु नियत है। यानि प्रकरण विगत 04 वर्षो से विपक्षीगणों की तलबी चरण पर विचाराधीन है। जो कि न्यायिक दृष्टी से बेहद खेदजनक है। पैशी दर पैशी निरन्तर वादीगण के अधिवक्ता को उपरोक्त प्रतिपूर्ति बाबत स्मरण कराया जाता रहा है। एक ही विषय को लेकर बार बार स्मरण कराया जाना भी उचित नही है। इस सन्दर्भ में और अतिरिक्त अवसर दिये जाने का भी कोई संतोषप्रद कारण वादीगण के अधिवक्ता द्वारा पूर्व में सुझाया नही गया है। एक ही चरण पर पत्रावली को निरन्तर सुनावई पर चलाये जाने से न्यायालय का समय व श्रम दोना जाया होता है। प्रकरण में सुलभ निस्तारण हेतु शिविर के दौरान ही राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा से विवादित आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया। प्राप्त विभाजन स्कीम के तौर पर रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। देखने रिपोर्ट से यह जाहिर आया कि वादपत्र प्रस्तुतिकरण से पूर्व ही विपक्षीगण संख्या 01 गौवर्धन पिता नानुराम शर्मा ने विवादित आराजीयात खतौनी संख्या 590 किता 05 रकबा 02–12 बीघा में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति कन्हैयालाल पिता शिवनारायण ब्राहमण को बैचान कर दिया गया था। यानि इस वादपत्र में सद्भाविक कैता बतौर पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना कानूनन आवश्यक था, किन्तु वादीगण ने अपने वादपत्र मे ऐसा नही कर बैचानकर्ता का ही पक्षकार बना यह वादपत्र त्रूटीयुक्त/दोषपूर्ण प्रस्तुत किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09, नियम 05 सी.पी.सी. के तहत, वादी की गैर अनुपालना में तथा वादपत्र के त्रूटीयुक्त/दोषपूर्ण पाये जाने पर, खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी